जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बेगूसराय

ग्रामीण स्वच्छता मार्ट/उत्पादन केन्द्र स्थापित करने हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रणः–

जिला जल एवं स्वच्छता समिति बेगूसराय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की केन्द्रीय एवं राज्य क्रियान्वयन मार्गदर्शिका तथा मुख्य सचिव बिहार सरकार के पत्रांक 812 दिनांक 30.06.2015 के आलोक में ग्रामीण निवेशकों (Rural Entrepreneurs) एवं उत्पादन केन्द्र व्यवस्थापकों से बेगूसराय जिला के 08 प्रखंडों में ग्रामीण स्वच्छता मार्ट और राज्य प्रायोजित कार्यक्रमों के संचालन व व्यवस्था हेतु–स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करती है। इच्छुक निवेशक कच्चा माल व मानव शक्ति दोनों गाँवों में व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु आपूर्ति करने योग्य होने चाहिए। सूचीबद्ध निवेशक पूर्व प्रमाणित शौचालय मॉडल लागत रू0–12000.00 या उससे अधिक के लिए सामान लाभुकों को बेचेगें तथा सीधे लाभुक से ही उसकी कीमत प्राप्त करेंगें। जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बेगूसराय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत बेसलाईन सर्वेक्षण सूचि के अनुसार शौचालय विहीन परिवार में जिनका नाम दर्ज है वैसे परिवार द्वारा स्वयं से निर्मित शौचालय का सत्यापन कराकर योग्य परिवारों को बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के शर्त्त के अनुसार सीधे उनके खातों में 12000.00 रू0 प्रोत्साहन राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करेगी तथा स्वयं से शौचालय निर्माण हेतु सक्ष्म नहीं होने वाले लाभुक आर.एस.एम. को अपने शौचालय निर्माण हेतु आवेदन पत्र देगी, वैसे सभी आवेदनों को आर.एस.एम. द्वारा संकलित कर DWSC बेगूसराय को उपलब्ध कराया जाएगा जिसके आलोक में DWSC बेगूसराय उतने लाभुक का शौचालय निर्माण हेतु आर.एस.एम. को कार्यादेश निर्गत करेगी एवं निर्माण उपरांत उतने लाभुक का प्रोत्साहन राशि सीधे आर.एस.एम. के खाते में दी जाएगी ।

आवेदन के नियम व शर्त्तेः–

ग्रामीण स्वच्छता मार्ट वह स्थित दुकान है जहाँ निजि एवं सामुदायिक स्वच्छता की जरूरत के लिए आवश्यकता की सभी सामग्री एक छत के नीचे उपलब्ध हो। उसी प्रकार उत्पाद केन्द्र वह ईकाई है जो स्वच्छता ईकाई (शौचालय इत्यादि) के निर्माण हेतु सामग्री जैसे–बेसिन, गड्ढे का ढक्कन, पौदान, पैन, रिंग, पाईप, दरवाजा, ईंट, बालू, सीमेंट, चिप्स आदि का निर्माण/आपूर्ति करेगी।

आवेदक के लिए नियम हैः–

- कम्पनी या सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत निबंधित या ट्रस्ट के रूप में निबंधित हो एवं आवेदन की तिथि से तीन वर्ष पूर्व से इस कार्य में कार्यशील एवं लगातार संचालित हो रहा है।
- आवेदन की तिथि से विगत दो वर्षों का टर्नओवर 2 लाख रूपया से कम न हो।
- निवेशक का आधार या संचालन उस प्रखंड/ग्राम पंचायत में हो जहाँ से आवेदक रूचि रखते हैं। सामुदायिक आधारित संस्था/गैर सरकारी संगठन, निजी निवेशक जो आवेदन की योग्यता रखते हैं आवेदन कर सकते हैं। निवेशक अपने व्यवसाय की व्यवस्था अपनी क्षमता से करेंगें एवं उत्पादन या निर्माण के उद्देश्य से उन्हें कोई अग्रिम भुगतान नहीं होगा।
- निवेशक द्वारा सशर्त्त अभिरूचि मान्य नहीं होगी ।
- अभिरूचि को अपरिहार्य कारणों से रद्द करने का अधिकार DWSC बेगूसराय को सुरक्षित है ।

इच्छुक निवेशक को अपने आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज स्वअभिप्रमाणित प्रति जमा करना होगा।

(i) पैन कार्ड, वाणिज्य कर निबंधन प्रमाण पत्र, निबंधन प्रमाण पत्र एवं विगत दो वर्षों का आयकर प्रमाण पत्र की प्रति ।

(ii) कार्यरत स्टाफ का विवरण ।

(iii) निवेशक के पास कार्य हेतु 1 लाख राशि का Solvancy Certificate बिहार अवस्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का संलग्न किया जाना होगा ।

(iv) अन्य कोई दस्तावेज संलग्न कर सकते हैं जैसे अनुभव प्रमाण पत्र आदि।

(v) उस आशय का शपथ पत्र कि निवेशक किसी भी संस्था द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है।

अपेक्षित गतिविधि :–

- परिवारों को शौचालय निर्माण हेतु कुशल प्रशिक्षित राजमिस्त्री उपलब्ध कराना व स्वच्छता सम्बंधित आदतों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना।
- स्वच्छता सम्बन्धी सामग्री का संग्रह करना और DWSC द्वारा निर्धारित दर पर बेचना।
- कार्यक्षेत्र आवंटन की तिथि से 10 दिन के अंदर आवंटित पंचायत में अपने स्तर से स्थल चयन कर ग्रामीण स्वच्छता मार्ट का अधिष्ठापन करना ।
- पंचायत स्तर पर स्वच्छता संबंधी कार्य, व्यवहार परिवर्त्तन हेतु लोगों को प्रेरित करने में DWSC को सहयोग प्रदान करना ।

भुगतानः–

बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की मार्गदर्शिका के अनुसार स्वयं से शौचालय निर्माण करने वाले लाभुक को देय प्रोत्साहन राशि का भुगतान सीधे लाभार्थी के खाता में ही यथासंभव किया जायेगा, स्वयं से शौचालय निर्माण नहीं करने वाले लाभुक जिनका शौचालय का निर्माण आर.एस.एम. के माध्यम से किया गया हो वैसे लाभुक का प्रोत्साहन राशि सीधे आर.एस.एम. के खाते में दी जाएगी । दोनों परिस्थिति में शौचालय का विपत्र स्थानीय वार्ड सदस्य एवं विभागीय प्रखंड समन्वयक के सत–प्रतिशत जाँचोपरांत जिला जल एवं स्वच्छता समिति को भेजा जाएगा । जिला जल एवं स्वच्छता समिति अपने स्तर से किसी पदाधिकारी को Random जाँच हेतु प्राधिकृत कर सभी विपत्रों का भुगतान सुनिश्चित करवायेगी ।

सूचीबद्ध एजेन्सी को सहयोगः–

सूचीबद्ध एजेन्सी के बारे में DWSC बेगूसराय द्वारा ग्राम पंचायतों एवं योग्य लाभुकों के बीच प्रचारित कराया जायेगा। उन्हें शौचालय का स्वीकृत नक्शा एवं एजेन्सी का सम्पर्क नम्बर/पता उपलब्ध कराया जायेगा। लाभुक अपनी सुविधा अनुसार किसी भी एजेन्सी का चयन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

वैधताः–

सूचीबद्धता की वैधता एक वर्ष के लिए होगी। आवश्यकता पड़ने पर DWSC बेगूसराय बिना कारण बताए, प्रमाणित विक्रेता स्टेटस को वापस लेने का निर्णय ले सकती है।

कार्य संचालन का क्षेत्रः–

प्रारम्भ में कार्य संचालन का क्षेत्र निवेशकों के लिए जिले का वार्षिक क्रियान्वयन योजना 2015–16 हेतु चयनित 38 ग्राम पंचायत होगा, (38 चयनित पंचायत की सूची ddws.gov.in/sbm के बेवसाईट पर एवं DWSC के कार्यालय से किसी भी कार्यालय दिवस को प्राप्त किया जा सकता है ।) जिसका चयन प्राथमिकता के आधार पर खुले में शौच मुक्त अवस्था लेने के लिए DWSC बेगूसराय द्वारा किया जायेगा। बाद में निवेशकों को पूरे जिले में अपने शौचालय निर्माण का सामान क्षमतानुसार बेचने की अनुमति दी जायेगी जो आवंटित ग्राम पंचायत में किए गए कार्य की संतुष्टि पर निर्भर करेगा।

वित्तीय सहायताः–

DWSC बेगूसराय चिन्हित एजेन्सियों को वित्तीय सहायता देने का निर्णय SBM(G) मार्गदर्शिका के अनुसार ले सकती है। इस हेतु व्यवसायिक योजना प्रस्तुत करना सहित अन्य अनिवार्य आर्हता पूर्ण करना तथा बैंक गारंटी प्रस्तुत करने सम्बंधित निर्णय DWSC द्वारा लिया जायेगा।

आवेदन का तरीकाः–

इच्छुक निवेशक सम्बंधित कागजातों के साथ आवेदन पत्र पर कार्य हेतु इच्छुक पंचायत का तीन विकल्प के साथ संलग्न कर सीलबंद लिफाफा कार्यपालक अभियंता–सह–सदस्य सचिव जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बेगूसराय का कार्यालय, काली स्थान चौक, पानी टंकी परिसर, बेगूसराय पिन कोड–851101 के पते पर डाक या कुरियर द्वारा 28 जुलाई 2015, 5.00 बजे संध्या तक आवेदन कर सकते है। हाथो–हाथ आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

यह कार्यालय किसी भी प्रकार का डाक या कुरियर के विलम्ब हेतु जबाबदेह नहीं होगा।

13.07.2015	14/7/15
सदस्य सचिव	जिला पदाधिकारी
जिला जल एवं स्वच्छता समिति	–सह–अध्यक्ष
–सह–	जिला जल एवं स्वच्छता समिति
कार्यपालक अभियंता	बेगूसराय
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय	